

ऑफसेट मुद्रण कार्य हेतु दर संविदा एवं एमपेनलमेन्ट हेतु निविदा का विवरण

मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2025-26 की (अनुबंध की तिथि से 31.03.2026) अवधि के लिये समय-समय पर आवश्यकतानुसार ऑफसेट मुद्रण कार्य करवाने हेतु निम्नानुसार (निर्धारित निविदा प्रपत्र में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन ई प्रोक्योरमेंट टू बिड पद्धति द्वारा) निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:-

(सभी राशियां रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	
1	अनुमानित राशि	रु. 800.00 लाख
2	बोली प्रतिभूति	रु. 16.00 लाख
3	बिड शुल्क	रु. 1000.00
4	प्रोसेसिंग फीस	रु. 2500.00
5	ऑनलाईन बिड प्रकाशन की तिथि	07.02.2025
6	वेबसाईट पर बिड प्रकाशन की तिथि	07.02.2025
7	बिड सबमिशन प्रारम्भ तिथि एवं समय	07.02.2025 को प्रातः 10.00 बजे से
8	बिड सबमिशन समाप्ति तिथि एवं समय	27.02.2025 को सायं 5.00 बजे तक
9	बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग व टेण्डर फीस का डीडी मुद्रणालय में प्रस्तुत करने की तिथि व समय	28.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक
10	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	28.02.2025 को दोपहर 1.00 बजे

1. बिड शुल्क, अमानत राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 2500/- का डिमांड ड्राफ्ट MD RISL के नाम डीडी द्वारा जमा करवाना होगा।
2. बिड/निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण व शर्तें वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, sppp.rajasthan.gov.in एवं मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com पर उपलब्ध है। बिड/निविदा वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड की जानी है।
3. बिड/निविदा के सम्बन्ध में अन्य जानकारी इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।
4. बोलीदाता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिड में उक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना डिजिटल हस्ताक्षर कोई भी बिड ऑफर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०

जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये ऑफसैट मुद्रण कार्य हेतु दर संविदा एवं ऐमपेनलमेन्ट हेतु बिड

मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2025-26 की (अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2026 तक) अवधि के लिए मुद्रणालय की स्वीकृत दरों/प्राप्त न्यूनतम दरों पर विभिन्न प्रकार के आफसैट मुद्रण कार्य हेतु मुद्रकों का ऐमपेनलमेन्ट करने के लिये प्रिन्टरों/बोलीदाताओं से आनलाईन ई प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से सहमति प्रस्ताव के साथ टू बिड्स दिनांक 27.02.2025 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से आमंत्रित तकनीकी बिड्स के निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें एवं वित्तीय बिड/BoQ (परिशिष्ट "अ" से "स") को उक्त तिथि व समय तक मुद्रणालय की वेबसाइट www.thecooperativepress.com तथा eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in पर सम्बंधित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई क्रमशः PDF Format एवं BoQ Format में अपलोड करनी होगी। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को दोपहर 1.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की "वित्तीय बिड" को ही खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड्स प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। **बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/बैंकर्स चैक/नकद/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी।** राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि **मुद्रणालय में उक्त वर्णित तरीकों से किसी एक द्वारा** मुद्रणालय के पक्ष में जमा करानी होगी, इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता को सामग्री के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा। अन्य कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उक्त संबंध में संस्था के फोन 0141-2751417 एवं ई-मेल : raj_coop_press@yahoo.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2026 तक होगी। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : बिड (निविदा) प्रपत्र एवं शर्तें

प्रबन्ध निदेशक

**राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर
जयपुर**

वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये ऑफसेट मुद्रण कार्य हेतु दर संविदा एवं एमपेनलमेन्ट हेतु बिड

प्रपत्र प्रथम "तकनीकी बिड"

1. बिड प्रपत्र मूल्य रु. 1000 / - (Non Refundable)
2. बिड सबमिशन समाप्ति की दिनांक 27.02.2025 को सायं 5.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 28.02.2025 को दोपहर 1.00 बजे
4. बिड का अनुमानित मूल्य 8.00 करोड रुपये

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....

.....

बोलीदाता फर्म का कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता

.....

फोन नं.ई-मेलमोबाइल नं.

2. बिड प्राप्तकर्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत 8.00 करोड़ रु० का 2% (16 लाख रु०)	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण
2	बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ है। इस प्रकार की ईकाई बिड सूचना में बताई गई अनुबन्ध राशि का आधा प्रतिशत 4.00 लाख रु० मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है।	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण
(ii)	उद्योग विभाग से जारी लघु उद्योग इकाई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या एव दिनांक	
3	प्रोसेसिंग फीस (Non Refundable) (MD, RISL) के नाम देय (रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र)	डी. डी. संख्या दिनांक
4	जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।) एवं अंतिम तिमाही में प्रस्तुत जी.एस.टी. रिटर्न की सनदीलेखाकार (CA) द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।	जी.एस.टी. नं.

5	बोलीदाता के पैन पंजीकरण एवं कर निर्धारण वर्ष 2024-25 की आई.टी.आर. की प्रति संलग्न है।	पैन नं.
6	बिड के साथ मुद्रित बहुरंगीय कार्य के नमूने (मोहर सहित) भौतिक रूप से मुद्रणालय में प्रस्तुत करने हेतु संलग्न करें।	
7	स्थापित मुद्रण यंत्रों का विवरण (चालू अवस्था में) निविदा की शर्त संख्या-5 के अनुसार संलग्न करें :-	
8	विगत तीन वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में 2.40 करोड़ रुपये के औसत वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण (सनदी लेखाकार द्वारा जारी वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
9	सनदी लेखाकार द्वारा जारी Positive Net Worth का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
10	विगत तीन वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में अथवा बोली प्रस्तुत करते समय हस्तगत आदेशों के मूल्य के विरुद्ध किये गये कार्य के प्रमाण पत्र सहित किसी भी एक वर्ष में रु. 2.40 करोड़ लागत के प्रिंटिंग कार्य की समरूप संविदाओं को संतोष जनक रूप से पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र मय अनुबंध की प्रति संलग्न करें।	
11	विगत 3 माह (नवम्बर, 24-जनवरी, 25) का बैंक स्टेटमेंट	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या दिनांक के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :-

- (1) यह कि मुद्रणालय को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
- (3) यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये है।
- (5) यह कि मैं/हम किसी भी राज्य सरकार द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किये गये है।
- (6) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।
- (7) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

मो0नं0.....

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017
फोन नं. 0141-2751417, 2751352

वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये मुद्रणालय की स्वीकृत दरों/प्राप्त न्यूनतम दरों पर ऑफसेट मुद्रण कार्य हेतु मुद्रकों की दर संविदा एवं ऐमपेनलमेन्ट हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय "वित्तीय बिड"

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....
.....
2. मुद्रणालय में वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये विभिन्न प्रकार के मुद्रण कार्य करने के लिए दर संविदा एवं ऐमपेनलमेन्ट हेतु हमारा प्रस्ताव BOQ में भर दिया है।
3. बिड प्रपत्र के साथ निविदा एवं संविदा की जो शर्तें संलग्न हैं, हमें स्वीकार हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

ऑफसेट मुद्रण कार्य कराने हेतु बिड एवं संविदा की शर्तें

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ा जावे। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

1. वर्ष 2025-26 की (अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2026 तक) अवधि के लिये मुद्रणालय की स्वीकृत दरों/प्राप्त न्यूनतम दरों पर ऑफसेट मुद्रण कार्य कराने हेतु मुद्रको का ऐमपेनलमैन्ट करने हेतु बिड आनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट प्रक्रिया से टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित करने हेतु हस्ताक्षरयुक्त वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिनांक 27.02.2025 को सायं 5.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र 'अ' में बोली प्रतिभूति राशि व अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र 'ब' में मुद्रणालय की स्वीकृत दरों/प्राप्त न्यूनतम दरों पर कार्य करने के ऐमपेनलमैन्ट की सहमति स्वरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
2. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड को दिनांक 28.02.2025 दोपहर 1.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. रंगीन मुद्रण कार्य केवल उन्हीं मुद्रकों को दिया जायेगा जिनके पास फोर कलर ऑफसेट प्रिन्टिंग मशीन उपलब्ध है तथा वास्तव में ऑफसेट रंगीन मुद्रण (फोर कलर) कार्य करता हो।
5. निविदादाता फर्म के पास स्वयं के नाम से ऑफसेट मुद्रण कार्य हेतु आवश्यक मशीनें/उपकरण यथा—एकरंगीय/बहुरंगीय ऑफसेट मशीन/कटिंग मशीन/प्लेट मैकिंग मशीन, कम्प्यूटर/स्केनर/लेजर प्रिन्टर इत्यादि उपकरण उपलब्ध होनी चाहिए (बिल संलग्न करें)
6. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य एजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।
7. संस्था को मुद्रण कार्य के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. बोलीदाता को अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला का पूर्ण पता मुद्रणालय को देना होगा, ताकि संस्था द्वारा निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
9. सफल बोलीदाता जिनका कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला जयपुर में स्थित नहीं उनको अनुबंध निष्पादन तिथि से एक माह की तिथि/निर्देशित समय में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला स्थापित कर पूर्ण पता देना होगा, जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना होगा, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
10. यदि अनुमोदित मुद्रक द्वारा गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न मुद्रण किया जाता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर मुद्रक द्वारा उसको बदलना होगा तथा वर्णित मुद्रित सामग्री अपने खर्च से ही इस मुद्रणालय परिसर से हटाया जायेगा।
11. सभी दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर होगी, जिसके लिए कोई कार्टेज व अन्य किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
12. बोलीदाता जिसकी बिड स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि अथवा निर्देशित अवधि में कार्य पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा। समय पर मुद्रण कार्य नहीं करने पर नियमानुसार पेनल्टी लगायी जायेगी।
13. मुद्रण कार्य का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
14. बिड में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए।

15. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होंगे जो कि अनुबन्ध का भाग होगा।
16. तकनीकी एवं वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत या लघु उद्योग इकाई के मामले में आधा प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/बैंकर्स चैक/नकद/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, से जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित हैं, द्वारा "राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर" के पक्ष में जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें यह बोली प्रतिभूति राशि बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन किया जावेगा।
17. पूर्व में मुद्रणालय में जमा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का बिड के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
18. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में पन्द्रह दिवस में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए कार्य नियमानुसार निविदा राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार 1 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता फर्म को वहन करना पड़ेगा। क्रयकर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में बिड निरस्त कर दी जावेगी।
19. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
20. यदि अनुमोदित मुद्रक निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली रिस्क कॉस्ट की वसूली बोलीदाता फर्म से की जावेगी।
मुद्रणालय अनुमोदित मुद्रक द्वारा मुद्रित सामग्री सप्लाई नहीं किये गये या अनापुरित मुद्रित सामग्री या मुद्रित सामग्री में शिकायत होने की स्थिति में लिखित में सात दिवस का नोटिस दे सकता है एवं उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित मुद्रक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित मुद्रक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय को अधिक व्यय वहन करना पड़ेगा, तो वह उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से पूरा किया जावेगा।
21. (1) सामग्री/माल निश्चित किये गये स्थान पर अच्छी दशा में तथा पूर्ण मात्रा में सम्मलवाया जायेगा। यदि अनुमोदित बोलीदाता फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ़ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पड़ेगा।
(2) अविवादित स्थिति में सामग्री का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
(3) बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बिड स्वीकृत करने के लिए प्रयास करने को अयोग्यता माना जावेगा।

22. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करें। न्यूनतम दरदाता से वार्ता करने का उपापन संस्था को नियमानुसार पूर्ण अधिकार होगा। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है। प्राप्त न्यूनतम दरों पर मुद्रणालय बिड में सम्मिलित अन्य बिडर को सहमति होने पर एमपेनलमेंट में शामिल कर सकेगा।
23. बोलीदाता को जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं अंतिम तिमाही में प्रस्तुत जी.एस.टी. रिटर्न की सनदीलेखाकार द्वारा प्रमाणित प्रति बिड के साथ आनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।
24. बोलीदाता द्वारा संस्था के आदेशानुसार मुद्रण कार्य में विलम्ब करने पर निम्नानुसार शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती निविदादाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी :-
- (क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए; 2.5%
- (ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए; 5%
- (ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए; 7.5%
- (घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए; 10%
25. फर्म को पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप निम्नानुसार है:-

एस.आर प्रारूप – 11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

26. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
27. दरें सभी प्रकार के कर सहित एवं जी.एस.टी. अतिरिक्त देनी होगी।
28. सभी प्रकार के मुद्रण कार्य में आधा प्रतिशत प्रति रंग के हिसाब से पेपर वेस्टेज देय होगा।
29. मुद्रणालय को आवश्यकता होने पर ही मुद्रण कार्य करवाया जायेगा।
30. Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.
31. मुद्रण कार्य मुद्रणालय द्वारा दिये जाने वाले इन्डैन्ट तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण करना होगा। निर्देशों के विपरीत होने पर माल स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा उस सामग्री की राशि का पूर्ण पुनर्भरण बोलीदाता को ही करना होगा।

32. मुद्रण कार्य के लिये दिये जाने वाले कागज को पूर्णतः गिनकर ले जाना व मुद्रण उपरान्त गिनकर संभलवाना होगा जिसका कोई कोर्टेज (ट्रान्सपोर्टेशन व्यय) देय नहीं होगा। मुद्रणालय द्वारा दिये गये कागज को सुरक्षित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी मुद्रण कार्य करने वाले की होगी तथा किसी भी कारण से हुई कागज की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मुद्रण कार्य करने वाली फर्म उत्तरदायी होगी।
33. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।
34. बिड्स अनुबन्ध 31.03.2026 तक के लिए मान्य होगा। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से नियमों के तहत आगे बढ़ाया जा सकेगा। अथवा मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि से पूर्व भी अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।
35. बिड स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।
36. अनुबंधकर्ता बिडर को आयकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
37. दरों में शब्दों एवं अंकों में अंतर होने पर शब्दों वाली दर सही मानी जावेगी।
38. बोलीदाता या बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि को समस्त बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा एवं अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोली प्रस्तुत करने की स्थिति में उनके पक्ष में बोलीदाता द्वारा जारी अधिकृत पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
39. दोनों बिड्स (निविदाएं) (तकनीकी एवं वित्तीय) वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जानी है। बिड्स प्रपत्र (टू बिड) एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाइट www.thecooperativepress.com तथा eproc.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी बिड्स के साथ ही बिड्स प्रपत्र की राशि 1000/—, प्रोसेसिंग फीस 2500/— व बोली प्रतिभूति राशि का DD Scan Copy अपलोड करने एवं मूल DD मुद्रणालय में जमा कराने पर ही तकनीकी बिड्स में हिस्सा लिया जा सकता है।
40. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
41. बोली सक्षम बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जावेगी।
42. संबंधित नमूने व बिल आदि मुद्रणालय में भौतिक रूप से जमा कराये जाने हैं।
43. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।
44. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं अन्य सभी विधिक के संगत प्रावधान लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त बिड्स शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर